

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED  
(A Government of India Enterprise)  
CIN No. L40101DL1989GOI038121



उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय, बी-9-कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016-दूरभाष 26532934  
Northern Region-1 Headquarters, B-9 Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Tel:(011) 26532934

संदर्भ: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./1722/

दिनांक: 08.01.2019

सेवा में,

श्री महेश गहलोत (एडवोकेट)  
कचहरी परिसर,  
बीकानेर

विषय: आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 24/10/2011 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2011 जिसके साथ आपने 24.10.2018 का पोस्टल आर्डर दिया है, जिससे प्रतीत होता है कि आपके आर. टी. आई. के पत्र की दिनांक 24.10.2018 है के संदर्भ में मांगी गई जानकारी बिंदुवार निम्नवत है:

1. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 व् इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइन में आने वाले किसानों को उनकी फसलों/पेड़ों आदि की क्षति का नुकसान मुआवजे के रूप में स्थानीय राजस्व अधिकारियों से सत्यापित करा लेने के उपरांत किया जाता है। इसमें भूमि अधिग्रहण का प्रावधान नहीं है। इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है एवं न ही सर्वे सुची तैयार हुई है।
2. चूंकि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भूमि का विवरण उपलब्ध नहीं है। पटवारी द्वारा भूमि का सर्वे नहीं किया गया था।
3. क्रम. संख्या 02 के अनुसार
4. क्रम. संख्या 01 के अनुसार
5. क्रम. संख्या 02 के अनुसार
6. ग्राम उतामाम् देसर में कृषकों को क्रम. संख्या 01 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए नियम अनुसार मुआवजा का भुगतान किया गया है। मुआवजा से सम्बंधित जानकारी आर. टी. आई अधिनियम के नियम 8(1) (g) and (j) के तहत नहीं दी जा सकती।

P.T. 0


7. कृषक आशाराम सारण (टावर संख्या 72B/O) को दो बार फ़सल के नुकसान के लिये मुआवजा राशी (1 टावर खड़ा करने के दौरान एवं 2. तार खीचने के दौरान) का भुगतान किया जा चुका है | अब कोई मुआवजा शेष नहीं है | मुआवजा राशी से सम्बंधित जानकारी आर. टी. आई अधिनियम के नियम 8(1) (g) and (j) के तहत नहीं दी जा सकती |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

**The details of First Appellate Authority**

Shri H.K.Mallick, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,  
Power Grid Corporation of India Ltd., B-9, Qutub Institutional Area,  
Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Phone No.011-26560203

कृप्या इसकी पावती भेजे |  
धन्यवाद |

  
भवदीय  
[आलोक]  
मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम)  
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

Copy to: NIO:Chief GM (Vigilance), NR-I: for information, please.

Shri S.S.Yadav, Chief Manager, Bikaner: for information and records, please.